रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 1983/भाद्र 8, 1905
No. 144] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 1983/BHADRA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 1/पी. आर./एन. पी./84

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1983

संख्या 601/12/83-एन. पी.-1 (आर.एन.आई.).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1, खण्ड-1, दिनांक 6 जून, 1983 के तहत पहले घोषित की गई लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति

के अनुच्छेद 4.11 को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एतद्द्वारा अधिसूचित करता है तथा उसे निम्न तरह से संशोधित करता है :—

"आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज के लिए समाचारपत्रों की हकदारी 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाली जाएगी ।"

जे. के. भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

PUBLIC NOTICE NO. 1/PR/NP/83

New Delhi, the 30th August, 1983

File No. 601/12/83-NP-I(RNI).—The Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting hereby notify that Para 4.11 of the Newsprint Allocation Policy for the licensing year April 1983 to March 1984, announced earlier vide Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I, dated June 6, 1983 stands amended as follows :

"The entitlement of a newspaper for imported newsprint as also for indigenous newsprint will be worked out on the basis of 50 GSM."

J. K. BHATTACHARYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983